राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(231)नियम/डीएलबी/19/36852-37044 दिनांक 25/11/2019

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषयः—शहरो में विभिन्न मार्गो पर ऑप्टिक फाइवर केबल डालने एवं जी.बी.एम. निर्माण की अनुमति देते समय क्षति ग्रस्त सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से प्राप्त/वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में।

प्रसंगः—विभागीय पत्र कमांक प.8(ग)(203)नियम/डीएलबी/19/32208—32404 दिनांक 30.08.19 के कम में।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा शहरो में विभिन्न मार्गो पर ऑप्टिक फाइवर केबल डालने एवं जी.बी.एम. निर्माण की अनुमति देते समय क्षति ग्रस्त सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से प्राप्त/वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट—II दिनांक 31.08.12 के बिन्दु संख्या 5 के संबंध में प्रकरण विशेष हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

प्रासंगिक पत्र के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट—III दिनांक 06.02.17 द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.10(147)नविआ/03/2008/पार्ट—II दिनांक 31.08.12 को अतिकमित किया जा चुका है एवं नगरीय विकास विभाग का आदेश दिनांक 06.02.17 ही प्रभावी है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.02.17 के प्रावधानो के अनुसार ही सडको की मरम्मत हेतु संबंधित फर्म से पूर्ण राशि प्राप्त/वसूल की जावे।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(231)नियम/डीएलबी/19/37045-37047 दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. संयुक्त शासन सचिव, III नगरीय विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
3. सुरक्षित पत्रावली।
4. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने जावत्।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/DLB/ Ajay ji SLO/Letter

Scanned by CamScanner